भारत में कन्या भ्रूण हत्याः कारण, रोकने के उपाय एवं कानून की भूमिका

सुमन कुमार
शोध छात्र
एस.डी. (पी.जी.) कॉलिज, गाजियाबाद
(चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत)
Email: suman1041984@gmail.com

सारांश

बहुमुखी विकास के लगभग सात दशकों के सफर के बाद भी 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं' योजना की जरूरत महसूस होना एक भयावह सत्य की ओर इशारा करती है। आज विज्ञान और प्रोद्योगिकी से कुछ भी परे नहीं है। एक समय था जब मानव जो कुछ जैसा प्रकृति स्वरूप उसे मिलता था, स्वीकार कर लेता था। भाग्य और कर्मों को नियति मानकर जीवन–यापन करता था। आज भौतिकवादी युग ने सभी मान्यताओं को नकार दिया है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वंय आप है। इसी सिद्धान्त पर चलकर सब कुछ मेरा हो की दोर में दौड़ता जा रहा है। पीछे क्या छूट गया ? क्या गलती हुई, ठहर कर मुड़कर विचार का समय उसके पास नहीं है। अनेक ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों की तरह नारी–स्त्री नामक संसाधन भी आज खतरे में है। देश में कन्या शिशु एवं कन्या भ्रूण हत्या एक विकराल समस्या हमारे समाज को घुन की तरह खाये जा रही है।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 24.08.2020
Approved: 28.09.2020

सुमन कुमार

भारत में कन्या भ्रूण हत्याः कारण, रोकने के उपाय एवं कानून की भूमिका

RJPP 2020,
Vol. XVIII, No. II,
pp.194-198
Article No. 23

Online available at *:*
https://anubooks.com/?page_id=6391

प्रस्तावना

जनसंख्या के ताजा आँकड़ों के अनुसार यह बात साबित हो रही है, कि देशों में बेटियों की संख्य लगातार कम हो रही है। बढ़ते असंतुलन के कारण भ्रूण हत्या/भ्रूण हत्या का कारण हमारी सोच, बेटी नहीं बेटा चाहिए, वंश कैसे चलेगा ? चिता में आग कौन देगा ? जैसी बातों ने अंतर और बढ़ा दिया है। 1901 में प्रति एक हजार पुरूष के पीछे महिलाओं की संख्या 972 थी जो 1911 में घटकर 964 रह गई। यह संख्या उत्तरोत्तर घटती जा रही है। 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945 रह गई है। 1947 में भारत स्वतंत्रत हुआ। 1951 की जनसंख्या के अनुसार 946 स्त्रियां पाई गई। 1961 में यह संख्या घटकर 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927 तथा 2001 में 933 एवं 2011 में 940 हो गई है।

देश में करेल एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक हजार पुरूषों के पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक है। जनगणना आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार केरल में 1000 के पीछे 1058 महिलाएँ है। ईसाई धर्म के आधार पर प्रति हजार के पीछे 1009 स्त्रियाँ है। यह संतुलन स्त्रियों के पक्ष में कहा जा सकता है। मुस्लिम आबादी के नजरिये से यदि देखा जाये तो केरल, पाँडिचेरी, तमिलनाडु तीन ऐसे राज्य है जहाँ 1000 पुरूषों पर क्रमशः 1097, 1010 और 1020 स्त्रियाँ है। शेष राज्यों में असंतुलन की स्थिति है।

देश में महिला–पुरूष के बीच बढ़ते असन्तुलन का मुख्य कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को कन्या जानकर उसका गर्भपात कराना या फिर जन्म लेने की स्थिति में उसके लालन–पालन में असावधानी बरतने से मृत्यु हो जाना है। 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतन 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है क्योंकि बहु के पेट में पल रहा शिशु कन्या है। 1997 में 40 लाख गर्भपात गैर कानूनी तरह से कराये गये। जिसमें 90 प्रतिशत का कारण गर्भस्थ शिशु का बेटी होना था। भ्रूण परीक्षण संबंधी पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 में लागू किया गया था लेकिन अब तक वह कागजों तक ही सीमित है। महाराष्ट्र में एक स्वयंसेवी संस्था के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि भ्रूण परीक्षण के बाद जो 8 हजार गर्भपात कराये गये थे उनमें 7999 बालिकाएँ थी।

विकास व साक्षरता के दावों के बीच महिला–पुरूष अनुपात का फासला कम होने की बजाय बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में तो कन्याओं को जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है। मास मूवमेंट फॉर सोशल चेंज की दिसम्बर 1990 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के पिछड़े इलाकों में अभी भी क्षत्रिय लोग अपनी नवजात कन्याओं को पैदा होते ही गला घोट देते है। मद्रास के कल्लर लोग भी अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार देते है ताकि लड़कियों की शादी के कारण होने वाली समस्याएँ ही पैदा न हो। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ व दिल्ली जैसे आधुनिक महानगरों में भी स्त्री–पुरूष अनुपात का फासला बढ़ रहा है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2001 से 2005 को करीब 6,82,000 कन्या भ्रूण हत्या हुई है। इस लिहाज से देखें तो इन चार वर्षों में रोजाना 1800 से 1900 कन्याओं को जन्म देने के पहले दफन कर दिया गया। समाज को रूढिवादिता में जीने की सही तस्वीर दिखाने

के लिए केन्द्रीय संगठन की यह रिपोर्ट पर्याप्त है। 'यूनीसेफ' की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में रोजाना 7000 कन्याओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। भ्रूण की बेचारी माँ अपने ही खुद से बने भ्रूण की अपनी ही कोख में हत्या को देख मौन बनी रहती है। वह तो बिना पलक झपकाये, खुली आँखों से शून्य में देखती दिखाई देती है। वह कितनी मजबूर। कितनी असहाय। कितनी कमजोर है। यह सब प्रकृति के विरूद्ध एक घिनौना कृत्य है।

यह तो एक छोटा सा उदहारण है इस सफेदपोश समाज गौरवगाथा। यही घटनाये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ऐसे माहौल में पुत्री का पैदा करना उचित है। उपरोक्त सर्वे में बयां सच भ्रूण हत्या से भी अधिक अमानवीय और रोंगेटे खड़े करने वाला है। शर्मसार होती मानवता, समाज और सामाजिक व्यवस्था बनाने वाले लोग यही समाज और यही लोग जब कोई बेटी दहेज, दुराचार जैसी अमानवीय घटना का शिकार होती है या तेजाब हमले के कारण अपनी आँखों की रोशनी या और कोई अंग गवॉ देती है तो उपहास करते हैं समाज के ये सफेदपोश मुखिया कहते हैं–माता–पिता ने सही संस्कार नहीं दिये, इसका परिवार ही अनैतिक आचरण वाला, इसकी मॉ ही ऐसी थी, ऐसे क्रूर समाज में क्यों करे कोई पुत्रियाँ पैदा। सभ्य मानव और समाज डरने लगा है, पुत्री को गर्भ में ही मार देते है ताकि आज के कलयुगी रावण और दुःशासन का शिकार उनकी पुत्री न बने।

जब किसी माता–पिता कल लाडली बेटी, दहेज हत्या, तेजाब हमले, दुराचार, प्रेम में धोखा आदि की घटना का शिकार होती है, तो बेटी से भी अधिक माता–पिता का दिल रोता है और वे ही कहते हैं अब कोई बेटी पैदा न करना। हे भगवान! अब किसी को बेटी मत देना।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय – केन्द्रीय मानव संसाधन विकास पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने डॉक्टरों से महिला भ्रूण हत्या रोकने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिला भ्रूण हत्या रोकने में डॉक्टर अहम् भूमिका अदा कर सकते हैं।

- भ्रूण हत्या रोकने के लिए केवल नीतियाँ और योजनायें बनाकर, हम समाज से भ्रूण हत्या या कन्या हत्याओं को कम नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता है कुछ ठोस कदम उठाने की कानून बनाने की।
- नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। शिक्षा के लिये आर्थिक मदद आरक्षण पद्धति से ऊपर उठकर की जाये, गरीब–जरूरतमंद तो किसी भी वर्ग की महिला हो सकती है।
- शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे नारी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त हो सकती है। समाज की बुराइयों–रूढ़ियों से लड़कर बिना परिवार पर बोझ बने स्वावलम्बी जीवन जी सकती है।
- ब्रांड एम्बेसडर–प्रतिष्ठित और सशक्त महिलाओं के साथ, शोषण का शिकार महिलाओं को भी बनाया जाये, जिससे शोषण का शिकार महिलाओं में मन में ही भावना पैदा नहीं

हो और समाज से लडने और जीने का जज्बा भी पैदा हो।

- परिवार में लड़का, लड़की को समान महत्व दे क्योंकि एक सजग परिवार सजग समाज का निर्माण करता है।
- शिक्षित संभ्रांत और प्रभावशाली व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाए, जो अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजे। इस समिति को सरकार की सहमति प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें।
- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जनता का दबाव होना चाहिए ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए, जहाँ कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार आदि कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।
- नगर के लोगों को पंजीकृत चिकित्सालयों की जानकारी दें तथा भ्रूण के लिंग की जांच के सम्बन्ध में हस्ताक्षर तथा प्रकाशन प्रतिबंधित है।
- सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्र पंजीकृत हो। पी.एन.डी.टी. एक्ट कड़ाई से लागू हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डाक्टरों और दवाइयों को पंजीकृत कर उनके लिये नियम कड़े किये जाये।

शिवाजी की माता जीजाबाई, चॉदबीबी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा, कल्पना चावला, मेरीकाम, इंदिरा गॉधी, मायावती आदि प्रेरणाशील महिलाओं के जीवन दर्शन को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दिखाया जाये। इससे कन्या शिशुओं के प्रति युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं में जागरूरता पैदा होगी, कल को उनकी बेटी भी कल्पना चावला की तरह उनके नाम पर परचम अंतरिक्ष और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में रोशन करेगी। समाज से लिंगभेद मिटेगा।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के कानून – गर्भपात निरोधक कानून की मान्यता के 20 वर्ष बाद भी आज कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति है कि राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिलों में तो लड़कियों का पैदा होना ही बन्द हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर, तमिलनाडु के सेलम, बिहार के सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार एवं भागलपुर तथा हरियाणा एवं पंजाब के कुछ जिलों में कन्या शिशु हत्या की घटनाएँ आम हैं। इन पर न तो कोई संताप होता है न कोई इनका विरोध करता है। भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक गैरसरकारी संगठन सेंटर फार एडवोकेसी एण्ड रिसर्च के डा. साबू जार्ज के अनुसार प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख बच्चियों को गर्भ में जन्मते ही मार दिया जाता है। जार्ज के अनुसार अवैध गर्भपात का व्यापार एक करोड़ रूपये तक पहुॅच गया है। अकेले दिल्ली में ही 97 प्रतिशत अल्ट्रासाउंड क्लीनिक गर्भ में लिंग पता लगाने का काम करते हैं।

ऐसा नहीं है कि भ्रूण हत्या रोकने के लिये कोई कानून नहीं बना है, कोई सरकारी प्रयास नहीं किया गया है। विभिन्न योजनाओं और कानूनों के माध्यम से भारत सरकार लोगों को जागरूक करती रही है कि बेटियां भी समाज का हिस्सा हैं। अभी हाल में 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना एक साहसी कदम है। आज कन्या भ्रूण हत्या, देश के कर्णधार पुत्र की चाह में एक फैशन बन गया है। भ्रूण हत्या रोकने को भारतीय

दण्ड संहिता का धारा 372 के अंतर्गत महिला की सहमति से गर्भपात कराया जाता है तो कानून की नजर में अपराधी को तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जब मॉ को बच्चे के घूमने का अहसास हो तो उस समय यदि गर्भपात कराया जाता है तो ऐसे प्रकरण में सात वर्ष की सजा या जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है। महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपराधी को आजीवन कैद या दस साल तक की सजा तथा आर्थिक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। जब गर्भ में बच्चे के शरीर के सभी अंगों का निर्माण हो जाता है और माँ के जीवन को कोई खतरा नहीं है तब भी यदि गर्भपात करवा दिया जाता है तो ऐसा अभियुक्त धारा 316 के अंतर्गत अपराधी होगा। न्यायायलय ऐसे अपराधी को 10 वर्ष तक सजा या आर्थिक जुर्माने दोनों से दण्डित कर सकता है। कोई भी ऐसा कार्य किया जाये या ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाये तो यह कृत्य आपराधिक मानव वधू की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति गर्भवती महिला को धक्का देता है और उसके कारण उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति मानव वध का दोशी माना जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 11 के अंतर्गत गर्भ में पल रहे बच्चे को जो बोल सकता है, जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपराधी को धारा 304 एवं 316 अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है यदि जीवित या मृत बच्चे को गुप्त तरीके से गायब कर दिया जाता है तो यह कानून अपराध है।

अन्त में निष्कर्ष रूप में ही कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी बेटी–बेटा में भेद किया जाता है। जब तक अन्तमन की सोच नहीं बदलेगी तब तक भ्रूण हत्या पर विजय पाना मुश्किल है। सृष्टि का संचालन स्त्री–पुरूष के संयोग से होता है। सृष्टि सृजन में स्त्री–पुरूष का कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल हमारी सोच एवं मानसिकता में जिसे हमें बदलना होगा। श्रीमदभागवत में नारी के कन्या रूप का गान विशदता से हुआ है। रामायण का कथन है कि कन्या की प्राप्ति बड़ी तपस्या से होती है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1 गुप्ता, सुभाष चन्द्र एवं राजपूत, अनिता सिंह 2011 : *भ्रूण परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या,* राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।

2 गुप्ता, मंजू एवं गुप्ता : सुभाषचन्द्र 2011 : *भ्रूण–हत्या और महिलायें,* प्रकाशन : अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 4831/24, पहलाद गली, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।

3 भारत के महापंजीयक 2011 : *भारत की जनगणना,* अनतिम जनसंख्या जोड, श्रृंखला, दस्तावेज, महापंजीयन का कार्यालय, नई दिल्ली।

4 छिल्लर, मंजुलता : 2010 : *भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न* प्रकाशन : 4831/24, पछलाद गली, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।

6 नाराणी, प्रकाश नारायणा 2007 : *भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा,* प्रकाशक : बुक एनक्लेव जैन भवन, शान्तिनगर, जयपुर, राजस्थान।